न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 111/**2022**

प्रार्थी :– गोविन्द सिंह पुत्र शिवदान सिंह कौम राजपुरोहित साकिन डोली राजगुरो तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. चैनसिंह पुत्र शिवदान सिंह कौम राजपुरोहित
2. प्रभुसिंह पुत्र शिवदान सिंह कौम राजपुरोहित
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवदान सिंह कौम राजपुरोहित

   सभी निवासीयान डोली राजगुरों तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः– 1. श्री चेलाराम कुमावत, वकील प्रार्थी

2. श्री रामसिंह राठौड, वकील विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

3. विप्रार्थी संख्या –04 एकपक्षीय

'आदेश'

दिनांक :– 12.11.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 03 के पिता शिवदानसिंह पुत्र मोडसिंहजी कौम राजपुरोहित के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 90 रकबा 15–07 बीघा, खसरा संख्या 283 रकबा 19–08 बीघा सरहद मौजा डोली राजगुरो में आया हुआ है । प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता शिवदानसिंह का इन्तकाल दिनांक 15.2.76 को हुआ तो उनके वारीसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 194 खोला गया जिसके कॉलम संख्या 11 में निम्न इन्द्राजात किये गये चैनसिंह, प्रभुसिंह, लक्ष्मणसिंह, गोविन्दसिंह पिसरान शिवदानसिंह पुरोहित सा. देह किया गया । प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स, पैन कार्ड जनआधार, राशनकार्ड वगैरा में प्रार्थी का शुद्ध नाम गोविन्दसिंह दर्ज है । हल्का पटवारी [illegible] ख[illegible] बनाते वक्त स्लीप ऑफ पेन गोविन्दसिंह की जगह अशुद्ध नाम गोरधनसिंह पुत्र शिवदान[illegible] दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकीय त्रुटि मात्र है । राजस्व रेकर्ड खतौनी में दर्ज प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेजात को उसके हक में जारी किये गये मेल नही खाते है जिससे प्रार्थी की सरकारी सुविधाएं प्राप्त करते वक्त कई तरह की परेशानियों का सामना करना पडता है । अतः प्रार्थी का सही एव वास्तविक नाम गोरधनसिंह की जगह गोविन्दसिंह नाम की दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.12 18:54:37 IST
Reason: SelfAttested

12.11.2022

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया ।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जरीये अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या –04 नोटिस बाद तामिल के अनुउपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गया।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की और से इकबाली जबाब पेश कर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार कर प्रार्थी का अशुद्व नाम गोरधन सिंह पुत्र शिवदान सिह कौम पुरोहित के स्थान पर दुरूस्त कर गोविन्दसिंह पुत्र शिवदान सिह राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का उज्र एतराज व आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया ।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के वकील की बहस को सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने दस्तावेज साक्ष्य के रूप में नामान्तरकरण संख्या 194 की सत्य प्रतिलिपि पी 35 के क्रमांक 3085 दिनांक 19.4.2022,जमाबंदी सवंत 2071–74 की सत्यप्रतिलिपि के क्रमांक 3091 दिनांक 22.4.2022, फोटो स्टेट प्रतिलिपि एस. बी.आई बैक पास बुक, जोब कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड एवं बाडमेर सैन्ट्रल को –ऑपरेटिव पास बुक की प्रति पेश की जिसमे पाया की नामान्तरकरण संख्या 194 में गोविन्दसिंह पुत्र शिवदान सिंह कौम पुरोहित दर्ज है । तदोपरान्त जमाबंदी तहरीर गोरधनसिंह पुत्र शिवदानसिंह दर्ज होना पाया जाता है जो त्रुटि दृष्टिगत है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य समस्त दस्तावेजो मे सही नाम गोविन्दसिंह पुत्र शिवदान सिंह अंकित है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 03 ने भी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम गोविन्दसिंह पुत्र शिवदानसिंह दर्ज करने में कोई उज्र कोई एतराज नहीं होना प्रकट किया है । अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित दिया जाता है कि ग्राम मौजा डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 90 रकबा 15–07 बीघा, खसरा संख्या 283 रकबा 19–08 बीघा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोरधनसिंह पुत्र शिवदानसिंह के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र शि[illegible] अंकित कर रेकर्ड दुरूस्त कर पालना करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.12 18:54:37 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

12.11.2022

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा